निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 पौष 1945 (श0)

(सं0 पटना 45) पटना, शुक्रवार, 12 जनवरी 2024

सं० 02/रेगु०–03–900–16/2021–45
गन्ना उद्योग विभाग

संकल्प
12 जनवरी 2024

विषयः– मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी का पुनः परिचालन के निमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य मूलधन की कुल राशि मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) रूपये भुगतान करने हेतु राशि उपलब्ध कराने एवं व्यय की स्वीकृति।

मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। इस चीनी मिल की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाने के कारण रीगा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा मिल का परिचालन पेराई सत्र 2019–20 के उपरान्त बंद कर दिया गया। रीगा चीनी मिल प्रबंधन के विरूद्ध विभिन्न पूर्ववर्ती पेराई सत्रों में गन्ना कृषकों का बकाया ईख मूल्य मूलधन में लगभग मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) रूपये है।

अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंको का भी इस चीनी मिल के विरूद्ध देनदारी रहने के कारण मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी के विरूद्ध अनित फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (लेनदेन के कारोबार में नॉन बैकिंग फाइनेंस कम्पनी) द्वारा दिनांक– 17.03.2015 को दिये गये ऋण की राशि मो० 1,70,00,000.00 (एक करोड़ सत्तर लाख) की वसूली हेतु दिवाला एवं दिवालियापन संहिता अधिनियम, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code Act, 2016) की धारा–7 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT), कोलकाता बेन्च में वाद संख्या–सी०पी०(आई०बी०)/68(के०बी०)2021 दिनांक– 18.10.2021 को दायर किया गया है।

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा रीगा चीनी मिल क्षेत्र के किसानों के बकाये ईख मूल्य मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) (मूलधन) एवं अन्य बकायों का भुगतान हेतु विधि विभाग के द्वारा नियुक्त अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, कोलकाता के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता बेन्च में दावा याचिका (Claim Petition) दायर किया गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता बेन्च द्वारा नियुक्त रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) द्वारा दिनांक–30.06.2022 को विभाग का मो० 67,27,23,445.00 (सड़सठ करोड़ सत्ताईस लाख तेइस हजार चार सौ पैंतालीस) रू० का दावा स्वीकार किया गया है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता बेन्च द्वारा दिनांक–11.04.2023 को रीगा चीनी मिल का परिसमापन (Liquidation) का आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध गन्ना उद्योग विभाग द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT), नई दिल्ली में अपील वाद दायर किया गया है।

2. मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि० (परिसमापन में) का ई–नीलामी (e-auction) दिनांक–31.08.2023 को कराया गया। जिसमें निवेशकों का संघ मेसर्स हल्दिया स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स भारत एग्रो बॉयोटेक लिमिटेड द्वारा मो० 101.00 (एक सौ एक) करोड रूपये की राशि पर चीनी मिल के परिचालन हेतु सफल निवेशक घोषित किया गया है। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के आलोक में निविदित राशि मो० 101.00 (एक सौ एक) करोड़ रूपये में से सर्वप्रथम सुरक्षित लेनदार (Secured Creditors) यथा संबंधित बैंक, वित्तीय संस्थानों को अधिकतम राशि प्राप्त होगी। चूँकि गन्ना कृषक परिचालन ऋणदाता (Operational Creditor) हैं, अतः कृषकों को बहुत कम राशि प्राप्त होने की संभावना है।

3. रीगा चीनी मिल क्षेत्रान्तर्गत गन्ना कृषकों की संख्या लगभग 40 हजार है। उक्त कृषकों एवं उनके परिवारों के आजीविका का मात्र एक मुख्य आधार गन्ना फसल एवं उस पर आधारित उद्योग है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति निचली भूमि रहने के कारण जल–जमाव की समस्या सदैव बनी रहती है, जो अन्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है।

4. राज्य में कृषि आधारित उद्योगों में त्वरित गति से विकास लाने हेतु चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों के विकास हेतु राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा संशोधित प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति दी गयी है। जिसके आलोक में गन्ना उद्योग विभागीय संकल्प संख्या–593 दिनांक–04.03.2014 द्वारा रियायते/छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी के साथ तीन इकाई अर्थात् चीनी मिल, डिस्टीलरी एवं को–जेन (सह–विद्युत उत्पाद) स्थापित है। यदि किसी नये उद्यमी द्वारा नई चीनी मिल के साथ डिस्टीलरी एवं को–जेन इकाई की स्थापना की जाती है तो विभागीय प्रोत्साहन पैकेज–2014 के अन्तर्गत उक्त इकाई को कुल राशि 35.00 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में देय होगी।

5. कंडिका–2 में अंकित तथ्यों के आलोक में कृषकों को बहुत ही कम राशि प्राप्त होने की संभावना है। किसानों के बकाये ईख मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। इस व्यवस्था के तहत् किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी एवं बंद पड़े रीगा चीनी मिल का पुनः परिचालन हो सकेगा।

6. इस बकाये ईख मूल्य के मूलधन की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–201–चीनी, उपशीर्ष–0103, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी, विपत्र कोड–45-2852082010103 अंतर्गत प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

7. राज्यहित एवं किसानहित में रीगा सुगर कम्पनी लि०, सीतामढ़ी के गन्ना कृषकों के बकाये ईख मूल्य मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) रूपये (मूलधन) का भुगतान चीनी मिल के एक पेराई वर्ष के सफल परिचालन के उपरान्त किसानों को करने की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–26.12.2023 को मद संख्या–22 द्वारा दी गयी है।

8. गन्ना कृषकों के बकाये ईख मूल्य की भुगतेय राशि का आवंटन चीनी मिल के एक पेराई वर्ष के सफल परिचालन के पश्चात् जिला पदाधिकारी को किया जायेगा एवं जिला पदाधिकारी द्वारा किसानों का बकाये ईख मूल्य का भुगतान किया जायेगा। विहित प्रक्रिया अन्तर्गत जाँचोपरान्त संबंधित कृषकों को बकाये ईख मूल्य की देय राशि का भुगतान जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा डी॰बी॰टी॰/आर॰टी॰जी॰एस॰/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे कृषकों के खाते में अन्तरण द्वारा किया जायेगा। ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर गन्ना उद्योग विभाग की ओर से नोडल पदाधिकारी होंगे।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राषि का उपबंध बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से प्राप्त कर व्यय किया जा सकेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
नर्मदेश्वर लाल,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 45-571+200-डी0टी0पी0 ।
Website: http://egazette.bih.nic.in